राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक कमांक 68/2007 दिनांक 27.04.2007 की कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 68 वीं बैठक डॉ0 मनजीत सिंह, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 27.04.2007 को कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर में सम्पन्न हुई । बैठक में **नगर पालिका, कपासन** के प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में निम्न सदस्यों एवं अन्य अधिकारीगणों ने भाग लियाः-

1. श्री ओ0पी0 हर्ष,
   निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,राज0,जयपुर — सदस्य
2. श्री एस0सी0 महागांवकर,
   मुख्य नगर नियोजक,राजस्थान,जयपुर । — सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थेः-

1. श्री अरूण चतुर्वेदी, उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन,उदयपुर ।
2. श्रीमति इन्दिरा, उप नगर नियोजक (प्लानिंग),राजस्थान,जयपुर ।

बैठक में प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

<u>स्पेशल एजेण्डा नं0 2/यूडीआर/कपासन (68/27.04.2007)</u>

<u>कपासन नगरीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम कपासन के खसरा नं0 6418 से 6421,6436 की 1.24 हैक्टेयर भूमि का परिधी नियन्त्रण पट्टी से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक-महाविद्यालय) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन बाबत - आवेदक दीक्षा किमेशन सोसायटी, उदयपुर जरिये सचिव श्री वसीम खान पिता श्री हसन खान ।</u>

प्रश्नगत प्रकरण को अध्यक्ष महोदय समिति के निर्देशानुसार बैठक में प्रस्तुत किया गया । प्रकरण पर विचार किया तथा नोट किया कि प्रश्नगत भूमि राज्य राजमार्ग सं0 9 (उदयपुर-चितौडगढ सडक) के दक्षिण दिशा में स्थित है । अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है एवं स्वामित्व वैध है ।

समिति द्वारा निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये, यथा :-

1. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर द्वारा आवेदित भूमि के सामने सडक का मार्गाधिकार 60 फीट (मध्य से 30 फीट भूमि) एवं आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में दर्शित 20 फीट सडक को न्यूनतम 30 छुडवाते हुये आवेदित भूमि का परिधी नियन्त्रण पट्टी से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की गई है ।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा की गई है ।
3. बैठक के दौरान समिति द्वारा मुख्य सडक से आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक की चौडाई 60 फीट उपलब्ध होने के सम्बन्ध में जानकारी चाहने पर उप नगर नियोजक, उदयपुर जोन,उदयपुर द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि मुख्य सडक से आवेदित भूमि के सामने से गुजर रही सडक का मार्गाधिकार 60 फीट मौके पर उपलब्ध होता है ।

समिति द्वारा आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखने हेतु सडक की मध्य से 30 फीट भूमि एवं पश्चिम दिशा में स्थित सडक को न्यूनतम 30 फीट रखने हेतु सडक के मध्य से 15 फीट भूमि छोडते हुये शेष भूमि का **परिधी नियन्त्रण पट्टी से सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक-महाविद्यालय)** प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया हैः-

1. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा मुख्य सडक से आवेदित भूमि के सामने से गुजर रही सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जाना सुनिश्चित किया जाय ।
2. प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार 60 फीट रखने हेतु सडक के मध्य से 30 फीट एवं पश्चिम दिशा में स्थित सडक को न्यूनतम 30 फीट रखने हेतु सडक के मध्य से 15 फीट भूमि छोडने हेतु आवश्यक भूमि नगर पालिका, कपासन को निशुल्क समर्पित करनी होगी ।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन सम्बन्धित कोई विधिक/नीतिगत रोक तो नहीं है ।

4. यह केवल मात्र आवेदित भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति है । इस स्वीकृति को आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा ।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा प्रश्नगत भूमि पर प्रस्तावित उपयोग से उत्पन्न होने वाले सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट का निष्पादन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स अनुसार सन्तोषजनक ढंग से किया जाना सुनिश्चित जाय।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन द्वारा प्रार्थी से वास्तविक बाह्य विकास शुल्क एवं अन्य नियमानुसार देय शुल्क की राशि वसूल की जावेगी।
7. शहरी विकास से सम्बन्धित नियमों जैसे सब डिविजन रूल्स, बिल्डिग बाईलाज आदि की पालना नगर पालिका, कपासन द्वारा स्वंय के स्तर पर करना सुनिश्चित किया जावेगा।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई ।

उक्त कार्यवाही विवरण राज्य सरकार के कमांकः 1493/एसएम/यूडीएच/07 दिनांक 10.05.2007 के द्वारा अनुमोदित है ।

— Sd —

मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति,
राजस्थान,जयपुर ।

कमांकःटीपीआरः1120/एसएलसी/कपासन/02/07 दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास विभाग,राज0,जयपुर ।
2. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान,जयपुर ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग,राजस्थान,जयपुर ।
4. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन,उदयपुर ।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, कपासन ।

19-5-07

मुख्य नगर नियोजक एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति,
राजस्थान,जयपुर ।